

प्रेषक,

अनिल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा),
सुरक्षा मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक, जोन/पुलिस उप महानिरीक्षक,
परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह(पुलिस) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 09 मई, 2014

विषय:- विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा हेतु गनर, शैडो एवं गार्ड उपलब्ध कराये जाने के लिये प्रचलित नीति के स्थान पर नई नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या 6509(एमबी)/2013(पीआईएल) डा0 नूतन ठाकुर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.12.2013 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय संवीक्षण करते हुए सुरक्षा सम्बन्धी नीति प्रतिपादित करने के आदेश पारित किये हैं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत प्रदेश के महानुभावों को सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु वर्तमान में प्रचलित समस्त शासनादेशों एवं नियमों को अवकमित करते हुए महानुभावों को सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है:-

- 1 (1) सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सभी आवेदक प्रपत्र-1 पर अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।
- (2) सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आवेदकों की जीवनभय आख्या प्रपत्र-2 के अनुसार जनपदीय/मण्डलीय सुरक्षा समिति शासन को उपलब्ध करायेगी।
- (3) सुरक्षा हेतु आवेदन करने पर आवेदक के जीवनभय का सही आंकलन कर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जनपदीय सुरक्षा समिति द्वारा सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। जिला सुरक्षा समिति में जिलाधिकारी के अतिरिक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई के प्रभारी, सदस्य होंगे। जीवनभय पर आधारित सुरक्षा का औचित्य पाये जाने पर आवेदक को एक माह के लिए सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी जिसे आवश्यकता पड़ने पर एक-एक माह कर दो बार बढ़ाया जा सकेगा अर्थात् कुल तीन माह तक सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।

(4) तीन माह से अधिक अवधि अर्थात् आगामी तीन माह के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होने पर जनपदीय सुरक्षा समिति द्वारा संबंधित व्यक्ति के जीवनभय का पुनर्मूल्यांकन, भय के स्रोतों को चिन्हित कर, जीवनभय को समाप्त किये जाने के संबंध में जनपद स्तर से की गयी कार्यवाही एवं उसके उपरान्त विद्यमान जीवनभय को दृष्टिगत रखते हुये यथोचित प्रस्ताव अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित मण्डलीय सुरक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। मण्डल स्तरीय सुरक्षा समिति का गठन निम्नवत होगा—

“मण्डल स्तरीय सुरक्षा समिति”

- | | |
|--|---------|
| 1. मण्डलायुक्त | अध्यक्ष |
| 2. पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र | सदस्य |
| 3. पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय/मण्डलाधिकारी | |
| विशेष शाखा, अभिसूचना विभाग | सदस्य |

मण्डलीय सुरक्षा समिति, सम्पूर्ण तथ्यों का गहनता से आंकलन कर औचित्य पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति को तीन माह तक सुरक्षा प्रदान कर सकेगी।

(5) जनपदीय/मण्डलीय सुरक्षा समिति द्वारा सुरक्षा दिये जाने हेतु अपने आदेश में निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख अवश्य किया जायेगा :-

- सुरक्षा कर्मियों की संख्या
- सुरक्षा प्रदत्त कराये जाने की अवधि
- सुरक्षा का व्ययभार

(6) जनपदीय सुरक्षा समिति द्वारा जिस जीवनभय के आधार पर प्रथम तीन माह हेतु सुरक्षा प्रदान की गयी है, उस जीवनभय को कम करने/अपास्त करने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा गम्भीर प्रयास किया जायेगा।

(7) जनपद एवं मण्डल स्तर पर कुल छः माह की सुरक्षा अवधि समाप्त होने के 15 दिन पूर्व मण्डलीय सुरक्षा समिति द्वारा सम्बन्धित महानुभाव के जीवनभय का पुनर्मूल्यांकन किया जायेगा एवं जीवनभय विद्यमान होने की दशा में अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित सुविचारित प्रस्ताव/जीवनभय आख्या शासन को विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

(8) मण्डलीय सुरक्षा समिति महानुभावों को सुरक्षा प्रदत्त कराये जाने हेतु जीवनभय आख्या, निर्धारित प्रारूप में शासन को उपलब्ध करायेगी जिस पर शासन स्तर पर निम्नवत गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा:-

- | | |
|----------------------------------|---------|
| (अ) प्रमुख सचिव, गृह | अध्यक्ष |
| (ब) पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० | सदस्य |
| (स) अपर पुलिस महानिदेशक(सुरक्षा) | सदस्य |

(9) प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा मण्डल स्तरीय सुरक्षा समिति की आख्याओं का परीक्षण कर सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

(10) उच्च स्तरीय समिति द्वारा मण्डलीय सुरक्षा समिति के प्रस्ताव/जीवनभय आख्या पर विचार करते हुए अधिकतम एक बार में 6 माह की अवधि तक सुरक्षा दिये जाने पर विचार किया जायेगा। शासन स्तर से 6 माह हेतु प्रदत्त सुरक्षा अवधि पूर्ण होने पर



सम्बन्धित जिलों से महानुभावों की जीवनभय आख्या मण्डलीय सुरक्षा समिति के माध्यम से प्राप्त होने पर सुरक्षा अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया जायेगा। उच्च स्तरीय समिति द्वारा केवल उन आवेदकों को सुरक्षा देने पर विचार किया जायेगा जिनको जनपदीय व मण्डलीय स्तर पर 06 माह हेतु सुरक्षा दी जा चुकी है एवं सुरक्षा बनाये रखने हेतु मण्डलीय सुरक्षा समिति द्वारा संस्तुति की गयी हो।

(11) भुगतान पर सुरक्षाकर्मी देने से पूर्व कम से कम एक माह का व्यय भार अग्रिम जमा कराया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि संरक्षित व्यक्ति द्वारा अग्रिम व्यय भार जमा नहीं कराया जाता है तो जमा करायी गयी धनराशि की अवधि समाप्त होते ही सुरक्षाकर्मी वापस ले लिया जायेगा।

(12) सुरक्षा ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों का व्ययभार पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च से पूर्व निर्धारित करके सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जायेगा। ये दरें प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से लागू होकर अगली दरें तय होने तक लागू रहेंगी।

(13) जनपद स्तर पर औचित्य पाये जाने वाले महानुभावों को प्रदत्त सुरक्षा की समीक्षा जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह की जायेगी। मण्डल स्तर पर औचित्य पाये जाने वाले महानुभावों को प्रदत्त सुरक्षा की समीक्षा मण्डलायुक्त/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा की जायेगी।

(14) ए0के0-47 रायफल तथा एमपी-5 गन व्यक्तिगत सुरक्षा में नहीं लगायी जायेगी और यदि वर्तमान में किसी की सुरक्षा में लगायी गयी है तो उसे तत्काल वापस कर लिया जायेगा।

(15) पी0ए0सी0 के कमाण्डो प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी किसी महानुभाव की व्यक्तिगत सुरक्षा में गनर/शैडो के रूप में तैनात नहीं किये जायेंगे।

(16) सामान्यतः आवासीय गार्ड, स्कोर्ट वाहन, स्कोर्ट के लिये पुलिस बल, वायरलेस एवं अन्य व्यवस्था शासन की स्वीकृति से ही उपलब्ध करायी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार जनपदीय प्रशासन द्वारा इसकी व्यवस्था सीमित अवधि के लिए स्थानीय स्तर पर की जा सकेगी।

(17) सामान्यतः ऐसे किसी व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी जायेगी जो आपराधिक क्रियाकलापों में लिप्त हो एवं जिन्हें सुरक्षा व्यवस्था दिये जाने से उसके दुरुपयोग की सम्भावना हो तथा आम जीवन में जनता को भय उत्पन्न हो।

2 (क) महत्वपूर्ण पदधारकों/अन्य महानुभावों को उनके द्वारा धारित पद के दायित्वों के निर्वहन में सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से सुरक्षा प्रदत्त किया जाना नितान्त आवश्यक है। महत्वपूर्ण पदों पर आसीन यह महानुभाव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण निरन्तर जनसम्पर्क में बने रहते हैं। उनके इस कार्य की प्रकृति का लाभ उठाते हुए उनसे द्वेषभावना रखने वाले, राष्ट्रविरोधी/समाज विरोधी तत्व उनको कभी भी हानि पहुँचा सकते हैं। अतः इन महत्वपूर्ण पदों पर सुरक्षित बने रहना एवं भयमुक्त वातावरण में अपने दायित्वों का निर्वहन करने हेतु निम्नलिखित महानुभावों को जनहित में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही सुरक्षा प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है:-

(i) महामहिम श्री राज्यपाल

(ii) मा0 मुख्यमंत्री जी


(iii) मुख्य न्यायाधीश एवं कार्यरत, मा0 न्यायाधीशों, मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ की सड़क यात्राओं के दौरान सुरक्षा

व्यवस्था।

- (iv) विधानसभा अध्यक्ष
 - (v) सभापित विधान परिषद
 - (vi) मंत्रीगण (कैबिनेट मंत्री/राज्यमंत्री/ उपमंत्री)
 - (vii) मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
 - (viii) लोकायुक्त/महाधिवक्ता/राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण
 - (ix) मंत्री/राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त महानुभाव
 - (x) राज्य सरकार के निगमों, आयोगों, संस्थानों, परिषदों/अन्य संस्थाओं आदि के ऐसे गैर सरकारी कार्यकारी अध्यक्षों/उपाध्यक्षों को जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री या उप मंत्री स्तर का कोई दर्जा नहीं प्राप्त है
 - (xi) सांसद
 - (xii) विधायक
 - (xiii) जिला पंचायत अध्यक्ष
 - (xiv) केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और राज्य सभा के उपसभापति की सुरक्षा
 - (xv) इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों के उपरोक्त समकक्ष महानुभावों को भी उपरोक्त की भांति सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
- (ख) पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, अवकाश प्राप्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आवश्यकतानुसार जीवनभय आख्या के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था प्रदत्त की जायेगी।
- (ग) प्रस्तर (क) एवं (ख) में उल्लिखित महानुभावों को वर्दी में एवं सादे परिधान में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (घ) मा० उच्च न्यायालय के आदेश ... it is necessary that a fresh look be had on an independent basis of the rationale for the impugned Circulars of the State Government and upon an assessment of the sensitivity of a particular situation including of a public office... के आलोक में उपर्युक्त (क) में उल्लिखित महानुभावों को सुरक्षा व्यवस्था निम्नवत् दी जायेगी:-
- (i) महामहिम श्री राज्यपाल - शासन द्वारा सुरक्षा कर्मियों के सृजित पद व संख्या के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
 - (ii) मा० मुख्यमंत्री जी - शासन द्वारा सुरक्षा कर्मियों के सृजित पद व संख्या के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
 - (iii) मुख्य न्यायाधीश एवं कार्यरत, मा० न्यायाधीशों, मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ की सड़क यात्राओं के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में - मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ के मा० मुख्य न्यायाधीश एवं मा० न्यायाधीश गण की सड़क यात्राओं के दौरान 'बार्डर टू बार्डर' त्रुटिरहित एस्कॉर्ट व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।
 - (iv) विधानसभा अध्यक्ष - पुलिस विभाग द्वारा एस्कॉर्ट की व्यवस्था की जायेगी।
 - (v) सभापति विधान परिषद - पुलिस विभाग द्वारा एस्कॉर्ट की व्यवस्था की जायेगी।

- 3 (क) माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में विचाराधीन प्रश्नगत रिट पिटोशन, संख्या 6509(एमबी)/2013(पीआईएल) डा0 नूतन ठाकुर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.12.2013 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा किये गये संवीक्षण एवं पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित महानुभावों को औचित्य पाये जाने पर निम्नवत सुरक्षा प्रदान की जायेगी:-
- (i) निवर्तमान सांसद/विधायक- औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षाकर्मी 10 प्रतिशत निजी व्यय अथवा उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित व्ययभार के अनुसार अथवा उच्च स्तरीय समिति के विवेकानुसार निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
- (ii) नगर प्रमुख/विश्वविद्यालयों के कुलपति- औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षाकर्मी 10 प्रतिशत निजी व्यय पर दिया जायेगा।
- (iii) प्रदेश स्तर पर पंजीकृत/मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के अध्यक्ष- औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षाकर्मी 10 प्रतिशत निजी व्यय पर दिया जायेगा।
- (iv) जघन्य अपराध होने पर पैरवी करने वाला/गवाह- औचित्य पाये जाने पर सुरक्षा की सामान्य व्यवस्था की जायेगी। व्यय का निर्धारण जनपदीय सुरक्षा समिति/मण्डलीय/उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति के निर्णयानुसार किया जायेगा।
- (v) अन्य किसी व्यक्ति- औचित्य पाये जाने पर आवश्यकतानुसार निजी व्यय पर सुरक्षा प्रदान की जायेगी। निजी व्यय का निर्धारण जिला/मण्डलीय/उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति के निर्णयानुसार किया जायेगा।
- (ख) उक्त महानुभावों को सादे परिधान में सुरक्षाकर्मी दिये जायेंगे।
- 4 (क) गम्भीर जीवनभय आख्या एवं विशेष परिस्थितियों में उपर्युक्त 2(क) एवं 3(क) में उल्लिखित महानुभावों को उच्च/राज्य स्तरीय समिति द्वारा जीवनभय पाये जाने पर अतिरिक्त सुरक्षा निर्धारित अवधि के लिए दी जा सकेगी।
- (ख) भारत सरकार द्वारा निर्गत येलो बुक की व्यवस्था के अनुसार राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति द्वारा किसी भी महानुभाव को श्रेणीबद्ध सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।

संलग्नक: प्रारूप-1 व प्रारूप-2

भवदीय,

 (अनिल कुमार गुप्ता)
 प्रमुख सचिव।

- (vi) मंत्रीगण (कैबिनेट मंत्री/राज्यमंत्री/ उपमंत्री) – मा0 मंत्रीगण के सुरक्षार्थ एस्कार्ट लगायी जायेगी। एस्कार्ट वाहन सम्बन्धित मा0 मंत्री के विभाग द्वारा दी जायेगी एवं ड्यूटी हेतु पुलिस कर्मी पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। मा0 मंत्रीगण की सुरक्षा में एक शैडो एवं एक गनर मा0 मंत्री जी के जनपद से, एक शैडो सुरक्षा शाखा से तथा एक मुख्य आरक्षी एवं चार आरक्षी एस्कार्ट ड्यूटी हेतु मा0 मंत्री जी के जनपद से दी जायेगी। मा0 मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लखनऊ स्थित आवासों पर सुरक्षा गार्ड लगायी जायेगी।
- (vii) मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश – मा0 उच्च न्यायालय के सभी मा0 न्यायाधीश गण को एक गनर एवं एक शैडो दिया जायेगा।
- (viii) लोकायुक्त/महाधिवक्ता/राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण –लोकायुक्त, महाधिवक्ता, अध्यक्ष राज्य सूचना आयोग एवं सदस्यगण को एक सुरक्षा कर्मी शासकीय व्यय पर दिया जायेगा।
- (ix) मंत्री/राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त महानुभाव– एक शैडो व एक गनर तथा 24 घण्टे की ड्यूटी हेतु 03 सुरक्षाकर्मी प्रदान किये जायेंगे।
- (x) राज्य सरकार के निगमों, आयोगों, संस्थानों, परिषदों/अन्य संस्थाओं आदि के ऐसे गैर सरकारी कार्यकारी अध्यक्षों/उपाध्यक्षों को जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री या उप मंत्री स्तर का कोई दर्जा नहीं प्राप्त है– एक सुरक्षाकर्मी निःशुल्क एवं औचित्य पाये जाने पर आवश्यक अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी, प्रति सुरक्षाकर्मी 10 प्रतिशत निजी व्यय पर प्रदान किये जायेंगे।
- (xi) सांसद – मा0 सांसद गण को एक गनर निःशुल्क एवं औचित्य पाये जाने पर 01 अतिरिक्त गनर (अर्थात् दूसरा) निःशुल्क तथा पुनः औचित्य पाये जाने पर तीसरा सुरक्षाकर्मी 25 प्रतिशत निजी व्यय पर, चौथा सुरक्षाकर्मी 75 प्रतिशत निजी व्यय पर या उच्च स्तरीय समिति के निर्णयानुसार उससे अधिक निजी व्यय पर, पांचवा या उससे अधिक सुरक्षाकर्मी 100 प्रतिशत निजी व्यय पर दिया जायेगा।
- (xii) विधायक – मा0 विधायक गण को एक गनर निःशुल्क एवं औचित्य पाये जाने पर 01 अतिरिक्त गनर (अर्थात् दूसरा) निःशुल्क तथा औचित्य पाये जाने पर तीसरा सुरक्षाकर्मी 25 प्रतिशत निजी व्यय पर, चौथा सुरक्षाकर्मी 75 प्रतिशत निजी व्यय पर या उच्च स्तरीय समिति के निर्णयानुसार उससे अधिक निजी व्यय पर, पांचवा या उससे अधिक सुरक्षाकर्मी 100 प्रतिशत निजी व्यय पर दिया जायेगा।
- (xiii) जिला पंचायत अध्यक्ष – जिला पंचायत अध्यक्ष को एक सुरक्षाकर्मी शासकीय व्यय पर दिया जायेगा।
- (xiv) केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और राज्य सभा के उपसभापित की सुरक्षा – गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.11.1992 में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सुरक्षा प्रदत्त की जायेगी।
- (xv) इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों के उपरोक्त समकक्ष महानुभावों को भी उपरोक्त की भांति सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

संख्या:- 682 PGS(1)/6-पु0-2-14-700(1)/2001 तददिनांक

पतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. गृह विभाग के समस्त अनुभाग।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

सुरक्षा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

प्रारूप-1

1. नाम-

2. पिता/पति का नाम-

3. पदनाम

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. व्यवसाय

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. आर्थिक स्थिति (वार्षिक आय)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. व्यक्तिगत/
परिवार में शस्त्रों का विवरण

परिवार के सदस्यों का विवरण

बन्दूक/पिस्तौल/रिवाल्वर/गयफल/
करबाईन/अर्द्ध स्वचालित शस्त्र/
निषिद्ध बोर का शस्त्र एवं संख्या

1. स्वयं
2. पत्नी
3. पुत्र/पुत्री
4. भाई/भाभी/भतीजा
अविवाहित भतीजी
5. पिता/माता

7. (अ) स्थायी पता

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


(ब) अस्थायी/वर्तमान पता

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. (अ) वर्तमान में जनपद/मण्डल द्वारा कोई सुरक्षा प्रदत्त है या नहीं है नहीं

यदि हां तो-

प्रदत्त सुरक्षा का स्वरूप	संख्या	अवधि कब से कब तक	व्ययभार शासकीय/निजी व्ययभार (10/25/50/100 प्रतिशत)
1	2	3	4
गनर			
शेडो			
अन्य			



(ब) सुरक्षा प्रदत्त कराने वाले जनपद का नाम—

9. (अ) सुरक्षा मांगने का कारण—

(ब) सुरक्षा किस पते पर प्रदत्त की जानी है— स्थायी पता अस्थायी पता

(स) मांगी गयी सुरक्षा का स्वरूप/अवधि

प्रदत्त सुरक्षा का स्वरूप	संख्या	अवधि कब से कब तक	व्ययभार शासकीय/निजी व्ययभार (10/25/50/100 प्रतिशत)
1	2	3	4
गनर			
शैडो			
अन्य			

(द) जनपद/मण्डल/शासन से सुरक्षा के सम्बन्ध में पूर्व में दिया गया आवेदन (हां/नहीं)
हां नहीं

(य) यदि हां तो— आवेदन पत्र दिनांक..... किस कार्यालय को दिया

10. आवेदक का आपराधिक इतिहास एवं नवीनतम स्थिति—

(अ) यदि एफ0आई0आर0/अपराधिक वाद है तो उसका विवरण—
(आवश्यकतानुसार अलग से विवरण—पत्र संलग्न किया जाये)

मु0अ0सं0	विवेचनाधीन	चार्जशीट/अंतिम रिपोर्ट	न्यायालय में विचाराधीन
1	2	3	4

(ब) यदि आपराधिक इतिहास नहीं है तो प्रमाणित करें—

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी


निवासी..... प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक अभियोग पंजीकृत नहीं है और न ही कोई आपराधिक कृत्य का वाद न्यायालय में विचाराधीन है।

दिनांक

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

11. प्रमाण पत्र—


मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी



निवासी.....प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे
द्वारा उपरोक्त दी गयी सूचना पूर्ण एवं सही है। गलत व अपूर्ण सूचना पाये जाने पर सम्पूर्ण दायित्व
मेरा होगा।

दिनांक


आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर



जीवनभय आख्या हेतु निर्धारित प्रपत्र

प्रारूप-2

1	आवेदक का नाम	
2	यदि आवेदक सेवारत है तो न्योक्ता का विवरण और आवेदक का पदनाम	
3	यदि आवेदक सेवारत नहीं है तो उसका व्यवसाय	
4	आवेदक की आर्थिक स्थिति/अनुमानित वार्षिक आय	
5	आवेदक की सामाजिक/राजनैतिक पृष्ठभूमि का विवरण	
6	स्थायी पता	
7	अस्थायी पता	
8	परिवार के सदस्यों के नाम एवं स्थायी पता	
9	जीवन भय के विशिष्ट कारणों का विवरण, जिन लोगों से जीवन भय की आशंका व्यक्त की गई है, क्या उनके विरुद्ध आवेदक द्वारा कोई प्रत्यावेदन पूर्व में दिया गया है। यदि हाँ तो इस पर क्या कार्यवाही की गई	
10	जिन लोगों से आवेदक ने जीवन भय की आशंका व्यक्त की है, उनकी पृष्ठभूमि, यदि ऐसे लोगों का कोई अपराधिक इतिहास है, तो उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण और ऐसे लोगों की निकट भूत की गतिविधियाँ	
11	आवेदक का अपराधिक इतिहास यदि कोई (चार्ज शीट, आरोप पत्र, एफ0आर0, दोष मुक्ति/सजा)	
12	वर्तमान में अपराधिक तत्वों से ताल-मेल, सम्पर्क का विवरण आदि	
13	परिवार में लाइसेंसी शस्त्रों का विवरण (शासनादेश दिनांक 09.07.2006 के अनुसार)	
14	आवेदक को वर्तमान में प्रदत्त सुरक्षा का विवरण एवं व्यय भार	
15	यह सुरक्षा आवेदक को किसके आदेश से प्रदत्त है और कब से	
16	विगत तीन वर्षों में आवेदक को क्या कोई सुरक्षा प्रदत्त थी, यदि हाँ तो कितने व्यय भार व किस अवधि के लिए तथा किसके आदेश से प्रदत्त थी	
17	क्या निजी सुरक्षाकर्मी शस्त्र लेकर इनके साथ चलते हैं	
18	क्या शासन द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के दुरुपयोग की सम्भावना है। यदि हाँ तो विवरण	



19	क्या यह व्यक्ति किसी जघन्य अपराध का पैरोकार/वादी/गवाह है यदि हाँ तो वर्तमान में उस वाद की स्थिति क्या है	
20	सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में जिला समिति की कारण सहित स्पष्ट संस्तुति	

